(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1523–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–5–2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला गुना, प्रकरण कमांक 16/16–17/अ–70

कैलाश मांझी पुत्र श्री रामकिशन मांझी
निवासीग्राम विनायकखेड़ी तहसील व जिला गुना

.....आवेदक

विरूद्ध

1–लक्ष्मीबाई बेवा पत्नी स्व0श्री रमेश धाकड़
2–जमुनालाल नाबालिग पुत्र स्व0रमेश धाकड़
3–राखी नाबालिग पुत्री स्व0रमेश धाकड़
अनावेदक 2 व 3 नाबालिग संरक्षक माता लक्ष्मीबाई पत्नी स्व0रमेश
समस्त निवासीगण श्रीराम कॉलोनी गुना

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बृजेंद्रसिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार गुना के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व व स्वामित्व की ग्राम विनायकखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 22/1/ख रकबा .037 हेक्टेयर है जिस पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–5–2017 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित हे और स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जाना है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही विधिसंगत नहीं है । इसी कारण उनके द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व निर्धारण हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है उसके पश्चात् अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर कार्यवाही करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय का कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की

गई है । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण नहीं होने देने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय का कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । तहसील न्यायालय में प्रकरण का अभी गुणदोष पर निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर